

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एम-63/2016-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० अलका कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली के द्वारा दिनांक-04.04.2016 से 30.04.2016 तक चिकित्सा हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-232, 234 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1461(25) दिनांक-14.07.2026 से प्राप्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन के आलोक में कुल-27 (सताईस) दिनों को (54 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) रूपान्तरित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एम-63/2016- 2032(2) पटना, दिनांक 18/8/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/डा० अलका कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, महनार, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

R